संख्या : 354/V-2/102(आ0)/2012

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक :24, मार्च, 2014

विषय– उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद के उपयोगार्थ वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–13, लेखाशीर्षक 2217 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में पुनर्विनियोग स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय आपके पत्र संख्या–05/उ0आ0वि0परि0/बी0एम0–13–14, दिनांक 03 जनवरी, 2014 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद, देहरादून के अधिष्ठान हेतु व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में वित्तीय वर्ष 2013–14 में धनराशि कम के कारण संलग्नक बी0एम0–15 में उल्लिखित विवरणानुसार रु0 4,00,000/–(रु0 चार लाख मात्र) की धनराशि को अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों में पुनर्विनियोग द्वारा व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यवर्तन अन्य मदों में नहीं कया जायेगा और उक्त मदों में अब तक इस वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त आवंटन नहीं किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार उन मदों पर ही किया जायेगा तथा देयता के निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा।

4– आवंटित बचत की सीमा में प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–8 तथा प्रपत्र बी0एम0–13 पर सूचना शासन को उपलब्ध कराय जाना सुनिश्चित करें।

5– व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, अधिप्राप्ति नियमावली, मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

6– अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31–3–2014 तक सुनिश्चित कर लिया जाये।

7– उक्त व्यय में मित्व्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों तथा वित्त विभाग के पत्र संख्या–284/xxvii(1)/2013, दिनांक 31 मार्च, 2013 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत किये जा रहे हैं।

8– व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये यह व्यावर्तित किया जा रहा है।

9– पी0आर0डी0 कार्मिकों के मानदेय का भुगतान, मा0 अध्यक्ष के स्टाफ का पारिश्रमिक, वाहन का किराया तथा मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं में अधिवक्ता की फीस का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप नियमानुसार किया जाएगा।

10– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2013–2014 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–00–आयोजनेत्तर –800–अन्य–07–00–उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

11– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–808/xxvii(2) /2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

संलग्नक–यथोक्त ।

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव ।

संख्या :354,(1)/V-2–102(आ0)/14–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2– अपर आवास आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून ।
4– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
5– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डॉ0 शैलेश कुमार पन्त)
उप सचिव ।

(वित्तीय वर्ष 2013–2014)(भाग–एक)
बी0एम0–09

अनुदान संख्या व नाम–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास
मुख्य शीर्षक 2217–शहरी विकास
80–सामान्य–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य–
07–उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद

(धनराशि हजार में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये		निम्नलिखित निधियों को प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरे जायेंगे।	
लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में) आयोजनेत्तर	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध बचतें	अंतरित की जाने वाली राशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु धनराशि	अंतरण के पश्चात अवशेष अनुदान / विनियोग (2–5)	लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष हेतु उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्याशित कुल व्यय	अंतरण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु धनराशि	अंतरण के पश्चात उपलब्ध अनुदान / विनियोग (8+11)
2217–शहरी विकास 80–सामान्य–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य–07–उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद						2217–शहरी विकास 80–सामान्य–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य–07–उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद					
01–वेतन	3200	2317	400	400	2800	16–व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	700		400	400	1100

प्रमाणित किया जाता है कि पैरा 133 व 134 में निर्धारित शर्तो सीमाओं का इस पुनर्विनियोग में उल्लघन नहीं किया गया है।
संख्या आर ई0 /ई /एक्स दिनाक

सेवा में,

(महालेखाकार ए एंड ई)
उत्तराखण्ड, औबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड,
देहरादून।

(डा0 शैलेश कुमार पन्त)
उप सचिव।

नाम व पदनाम
वित्त विभाग

संख्याः /2014– तददिनाक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 जिलाधिकारी, देहरादून।
2 मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3 अपर आयुक्त, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिशद, देहरादून।
4 वित्त अनुभाग–2 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
5 एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6 गार्ड बुक।

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम

(डा0 शैलेश कुमार पन्त)
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

D:\Awas-Section- 2\performa\Lok Sewa Aayog.doc

उत्तराखण्ड शासन
(वित्तीय वर्ष 2013-2014)
बी .एम. - 09

अनुदान संख्या - 013
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - .

अलोटमैंट आईडी - R1403130265
दिनांक - 12-Mar-2014

(In Rupees)

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक (1)		[illegible] व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवशेष में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सम्भावित अवमोचित धनराशी (4)	लेखाशीर्षक जिसमे धनराशी स्थानान्तरित की जानी है (5)		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की कुल धनराशी (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल धनराशी	अभियुक्ति
	2217 शहरी विकास 80 सामान्य 800 अन्य 07 उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद 00 उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद (Non Plan Voted)					2217 शहरी विकास 80 सामान्य 800 अन्य 07 उत्तराखण्ड आवास एवं विकास पां 00 उत्तराखण्ड आवास एवं विकास पां (Non Plan Voted)				
1	01 - वेतन	3200000	1061470	1738530	400000	18 - व्यावसायिक एवं विशेष सेवायें	400000	1100000	2800000	
	योग				400000	योग	400000			

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 133,134 में उल्लिखित प्राविधानो एवं सीमाओ का उल्लंघन नही होता है ।

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 09 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेन्टर 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला ,देहरादून को उपलब्ध करायी

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव-वित्त
उत्तराखण्ड शासन